प्रेस नोट ***दिनांक 09.11.2025***

जनपद मऊ में पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में लगी गोली, देशी अवैध तमंचा, पिस्टल व कारतूस के साथ हत्या के आरोपीगण गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मु0बाद गोहना श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना रानीपुर पुलिस को गिरफ्तारी में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है जिसमें दिनांक 26.10.2025 को राजेश सिंह उर्फ मन्टू सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी पिरूवां थाना रानीपुर जनपद मऊ की हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत मु.अ.सं. 185/25 धारा 103(1) BNS से सम्बन्धित अभियुक्तगणों को पुलिस टीम ने मुठभेड़ में देशी तमंचा पिस्टल व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है।

अभियान के क्रम में आज रात्रि दिनांक 09.11.2025 को थाना रानीपुर पुलिस, एसओजी टीम व सर्विलांस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर सरौदा से असलपुर गांव के रास्ते असलपुर पुलिया की तरफ 01 मोटरसाइकिल से 02 व्यक्ति सवार होकर आ रहे है ये दोनो वहीं व्यक्ति है जिन्होने राजेश सिंह उर्फ मन्टू सिंह की गोली मारकर हत्या किये है इनके पास अवैध असलहा भी मौजूद है । इस सूचना पर पुलिस टीम फतेहपुर तिराहे से प्रस्थान कर असलपुर पुलिया के कुछ दूर पहले अपने अपने गाड़ीयो को मोड़ पर झुरमुट की आड़ मे खड़ा कर आस पास के झाडियो का आड लेकर बदमाशो का इन्तेजार कर रहे थे कि कुछ देर बाद 01 मोटरसाइकिल आती दिखाई दी जैसे ही टार्च की रोशनी मोटर साइकिल सवारो पर पड़ी कि पुलिस वालो ने उनको रोकने का इशारा किया कि उक्त मोटरसाइकिल पर सवार दोनो व्यक्ति हम पुलिस वालों को देखकर पीछे मुडकर भागने का प्रयास किया कि घबराहट में मोटर साईकिल पर सवार दोनो व्यक्ति अनियंत्रित होकर सडक के किनारे फिसलकर गिर गये मोटर साईकिल से गिरे बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा परन्तु दोनो बदमाश ने चिल्लाते हुए कहे कि अगर किसी ने पकड़ने का प्रयास किया तो कोई पुलिस वाला जिन्दा बचकर नही जा पायेगा इसी बीच एक बदमाश ने थानाध्यक्ष रानीपुर को लक्ष्य बना कर फायर कर दिया जिससे गोली थानाध्यक्ष के सिर के बगल से होती हुई गुजर गयी और थानाध्यक्ष बाल बाल बच गये तथा पुनः एक राउन्ड फायर हुआ जो SOG प्रभारी श्री मनोज कुमार सिंह के कान के बगल से गुजरी। आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायर किया जो एक बदमाश के घुटने के नीचे गोली लगी जिसे पुलिस टीम ने पिस्टल के साथ दबोच लिया तथा दूसरा बदमाश वहाँ से भागकर झाड़ियों छिपकर पुलिस पर फायर करने लगा पुलिस टीम ने पीछा कर हिकमत अमली से दूसरे बदमाश को भी पकड़ लिया ।

मुठभेड़ मे घायल पहले बदमाश से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम विवेक कश्यप पुत्र सोहन गोड़ निवासी काझा थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र करीब 22 वर्ष बताया जिसके पास से एक अदद अवैध पिस्टल 32 बोर व कारतूस, मोबाइल बरामद हुआ तथा दूसरे नें अपना नाम मृत्युन्जय राजभर पुत्र स्व0 राजेश राजभर निवासी मिर्जापुर थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र करीब 23 वर्ष बताया जिसके पास से एक अवैध देशी तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस व मोबाइल बरामद हुई। कड़ाई से पूछताछ पर विवेक कश्यप द्वारा बताया गया कि इसी पिस्टल से दिनांक 26.10.2025 को राजेश सिंह उर्फ मन्टू सिंह की हत्या हम दोनो ने मिलकर किया था जिसमें गोल्डेन कुमार उर्फ बमबम पुत्र रामअशीष राम, अमन सिंह पुत्र हरेन्द्र सिंह, रौनक खरवार उर्फ बन्टी पुत्र मनोज कुमार ने रेकी की थी व षडयन्त्र में शामिल थे। हत्या का कारण पूछने पर बदमाशो द्वारा बताया कि ग्राम सभा पिरुवा में ग्राम प्रधान गुड्डू यादव के भाई राजेश यादव निवासी पिरुवा थाना रानीपुर जनपद मऊ की पत्नी कलमौती देवी से मृतक राजेश सिंह उर्फ मंटू सिंह का अवैध सम्बन्ध था जिसके कारण राजेश यादव द्वारा अपनी पत्नी से सम्बन्ध विच्छेद करना पड़ा तथा इसी बात को लेकर मृतक राजेश सिंह द्वारा पूर्व में राजेश यादव के मामा के लड़के को बुरी तरह से मारा पीटा भी गया था उपरोक्त बातो के द्वेशवश राजेश यादव द्वारा योजना बद्ध तरीके से फिरौती देकर हम लोगों से योजनाबद्ध तरीके से हत्या करवायी गयी।

पैर में गोली लगे घायल अपराधी विवेक कश्यप को सीएचसी रानीपुर लाया गया जहाँ जिला अस्पताल मऊ रेफर कर दिया गया तथा दूसरे अपराधी मृत्युंजय को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया तथा बरामद शुदा शस्त्र, कारतूस व मोबाइल को मौके पर सील कर तथा घटना में कारित मोटर साइकिल को सीज कर गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. विवेक कश्यप पुत्र सोहन गोड़ निवासी काझा थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र करीब 22 वर्ष
2. मृत्युन्जय राजभर पुत्र स्व0 राजेश राजभर साकिन मिर्जापुर थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगीः-

1. एक अदद पिस्टल बोर 32

2. दो अदद खोखा कारतूस 32 बोर

3. दो अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर

4. एक अदद देशी अबैध तमंचा 315 बोर

5. एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर

6. दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

7. 450 रूपया नगद

8. 02 अदद मोबाईल

9. 01 अदद मोटरसाइकिल बिना नम्बर

पुलिस टीमः -

थाना रानीपुर टीम- थानाध्यक्ष सुभाष चन्द्र, उ0नि0 रामाज्ञा कुमार ,हे0का0 मिथिलेश कुमार सिंह ,का0 पंकज यादव ,चालक उ0नि0 रविन्द्र यादव।

SOG टीम - प्रभारी उ0नि0 श्री मनोज कुमार सिंह , हे0का0 लायक हुसैन ,का0 अविनाशधर दुबे, का0 ऋषभ द्विवेदी , का0 अनिरूद्ध सिंह ,का0 अनुदेश दत्त,हे0का0 चालक बब्बन सिंह चौहान।

स्वाट/ सर्विलान्स टीम- प्रभारी उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार सिंह ,हे0 का0 राकेश यादव , का0 बृजेश मौर्य ,का0 वरूण यादव , हे0 का नीरज शर्मा ,का0 ज्ञानेन्द्र पाण्डेय ,हे0का0 कमलेश कुमार ठाकुर

गिरफ्तार अभियुक्तो का अपराधिक इतिहास-

मृत्युन्जय राजभर पुत्र स्व0 राजेश राजभर साकिन मिर्जापुर थाना रानीपुर जनपद मऊ एचएस नम्बर 279ए थाना रानीपुर

1. मु0अ0सं0 185/25 धारा 103(1),61(2) BNS थाना रानीपुर जनपद मऊ

2. मु0अ0सं0 191/25 धारा 109 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानीपुर जनपद मऊ

3. मु0अ0सं0 008/2023 धारा 392/411/120B IPC थाना रानीपुर जनपद मऊ

4. मु0अ0सं0 22/2023 धारा 392/411 IPC थाना रानीपुर जनपद मऊ

5. मु0अ0सं0 146/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानीपुर जनपद मऊ

6. मु0अ0सं0 38/23 धारा 41, 411 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानीपुर जनपद मऊ

7. मु0अ0सं0 155/23 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट

विवेक कश्यप पुत्र सोहन गोड़ निवासी काझा थाना रानीपुर जनपद मऊ

1. मु0अ0सं0 185/25 धारा 103(1),61(2) BNS थाना रानीपुर जनपद मऊ

2. मु0अ0सं0 191/25 धारा 109 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानीपुर जनपद मऊ

3. मु0अ0सं0 172/23 धारा 394/412 भादवि थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

4. मु0अ0सं0 128/24 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

एससी/एसटी एक्ट में 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियो कें विरूद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिग के दौरान जरिये मुखबिर सूचना पर काछीकला अंडरपास के पास से मु0अ0स0 336/25 धारा 124(1), 352, 351(2) बीएनएस व 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट से संबंधित अभियुक्त इस्माइल पुत्र बोराहाजी निवासी हकीमपुरा थाना कोपागज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण –

1. इस्माइल पुत्र बोराहाजी निवासी हकीमपुरा थाना कोपागज जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 336/25 धारा 124(1), 352, 351(2) बीएनएस व 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट

गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अनिकेत सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. हे0का0 राजकुमार पाल थाना कोपागंज जनपद मऊ।
3. का0 विजय विश्वकर्मा थाना कोपागंज जनपद मऊ।

यूपीआई के माध्यम से फ्रांड कि गयी धनराशि 10035 रुपये थाना मधुबन साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना मधुबन साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए यूपीआई के माध्यम से फ्रांड की गयी धनराशि 10035 पीडित पूजा यादव निवासी सिकरीकोल थाना मधुबन जनपद मऊ आवेदक के कुल धनराशि 10035 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना मधुबन के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

महिला एच्छिक ब्यूरो के प्रयास से 08 दंपती साथ साथ रहने को हुए राजी, 75 मामलों में से 30 मामलों का हुआ निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में आज दिनांक 09.11.2025 को महिला एच्छिक ब्यूरो की बैठक पुलिस कार्यालय में सम्पन्न हुयी। इस दौरान एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के समक्ष कुल 75 मामले आये जिसमें एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के प्रयास से 30 मामलों का निस्तारण हुआ तथा 08 दंपति सुनीता/शुभम, त्रिलोकी/अन्जू, नीतू/धर्मेन्द्र, जयराम/राजमुनी, प्रीति/बृजेश, काजल/विजय ,गुड़िया/गुलाब, चन्द,हुमा/आमिर हैं। आपसी मतभेद भुलाकर एक दुसरे के साथ रहने को राजी हुए। 20 फाईलें पक्षकारों की उदासीनता से बन्द की गयी तथा 02

मामले में एफआईआर हुआ। अन्य मामलों के निस्तारण हेतु ब्यूरो की बैठक की अगली तारीख 30.11.2025 दी गयी है। एच्छिक ब्यूरो की बैठक में अर्चना उपाध्याय ,सर्वेश दूबे,शहिद पैरिस,मौलवी अरशद रहे साथ में एस आई समरजीत यादव,महिला आरक्षी पूनम पाल,राजलक्ष्मी ,करिश्मा रहीं उपस्थित रही।